48/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.:– 48/2017 बअनवान तारा बनाम स्व. ओगड के वारिसान वालकी व अन्य	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15-05-2024	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट तारा का देहान्त दिनांक 20.12.2017 को हो जाने उसके विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2018 को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ साथ अपीलाण्ट के वारिसानों का वकालतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं संशोधित अनवान भी पेश किया। जैर प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश किया है। अपीलाण्ट तारा के वारिसान पोनी का देहान्त दिनांक 26.12.2019 को हो जाने से पोनी के वारिसानों का रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी अन्दर म्याद पेश किया जिसके संलग्न संशोधित अनवान, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसानों का वकलतनामा पेश किया। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का स्वीकार फरमावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट तारा के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित वारिसानों के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है इस सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया है परन्तु अपीलाण्ट का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है इन परिस्थितियों में यह प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट तारा के जिन चार व्यक्तियों को विधिक वारिसान होना बताया है उन व्यक्तियों के भी प्रार्थनापत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं है केवल मात्र अधिवक्ता के हस्ताक्षर है और न ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी तरह का विधि अनुसार शपथ पत्र पेश किया है। मूल अपीलाण्ट का देहान्त हो जाने पर राईट टू इश्यू में अपीलाण्ट के विधिक वारिसानों को पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आज्ञापक है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) CCC 210 बोम्बे का पेश किया। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट तारा का देहान्त हो जाने पर उनके विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर लेने हेतु अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश	

अति. जिला कलेक्टर पाली

22 नियम 3 सीपीसी का पेश किया। जिसके संलग्न अधिवक्ता अपीलाण्ट ने संशोधित अनवान, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसानों का वकलतनामा पेश किया। अपीलाण्ट तारा का मृत्यु प्रमाण पत्र आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दिनांक 05.01.2018 को जारी किया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर केवल अधिवक्ता के ही हस्ताक्षर है। अपीलाण्ट के वारिसानों के कोई भी हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर नहीं है तथा न ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधि अनुसार कोई शपथ पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित वारिसानों के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का खारिज किया जाता है जिसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलाण्ट उचित विधिक उपचार के साथ पुनः अपील प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली